

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड III भर्ती परीक्षा-2022 में चयनित अभ्यर्थियों को श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102(202)/सी.भ./पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III/2021-22 दिनांक 18.06.2023 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को आवंटित किए गए थे। उक्त आदेश में विशेष विवरण कॉलम में अंकित ONLY COUNSELLING वाले अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग के निर्देश प्रदान किये गये थे। जिसकी पालना में दिनांक 23.06.2023 को काउन्सलिंग शिविर का आयोजन किया गया।

श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 18.06.2023 एवं पत्रांक शिविरा-माध्य./संस्था/एफ-1/12102(200-A)/सी.भ./पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III/डिग्री सत्यावन/2023 दिनांक 21.07.2023 द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक दस्तावेजों की संबंधित विश्व विद्यालय/संस्था से Genuine रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देश प्रदान किये जाने की पालना में संलग्न सूची अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड III (नॉन टी.एस.पी.) के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल- 10 में प्रोबेशनर ट्रेनी(परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियत मानदेय 23700/- (अक्षरे तेईस हजार सात सौ रुपये मात्र) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(9) एफडी(रूल्स)/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्तों यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट (पुलिस सत्यापन रिपोर्ट) एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कर्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं इस संबंध में तत्काल स्थानीय कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूमपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।



5. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने संबंधी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संलग्न किया जावे।
6. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
7. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रावेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई कटौतियों की जावेगी।
9. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
10. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9)एफ.डी.(रुल्स) 2017 जयपुर, दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
11. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों से जांच करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जावे। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर स्पष्ट टिप्पणी सहित स्थानीय कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
12. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओं. को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर **दिनांक 16-08-2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सम्बन्धित संस्था प्रधान मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/ सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।

संलग्न :- आदेश सूची क्र.स. 01 से 02 तक

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय), माध्यमिक, पाली
दिनांक :- 26.07.2023

जि.शि.अ./मु./मा./पाली/संस्था/पुस्तकालयाध्यक्ष/2023/294

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. श्रीमान संयुक्त शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा पाली-मण्डल, पाली।
8. शाखा अवधायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रति भेजकर लेख है कि आज ही आपके कार्यालय से संबंधित लिपिक को आपके ब्लॉक को आवंटित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन मय संलग्न प्राप्त कर संबंधित विद्यालय में पहुंचाने की व्यवस्था करावे।
10. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओ उमावि/मावि
11. सम्बन्धित आशार्थी।
12. रक्षक पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय), माध्यमिक, पाली



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, पाली

जि.शिक्षा/मु.मा./पाली/संस्था/पुस्तकालयाध्यक्ष/2023/294 दिनांक :- 26.07.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड III

भर्ती परीक्षा-2022 में चयनित अभ्यर्थियों के काउन्सलिंग पश्चात पदस्थापन आदेश (only counseling)
गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP)

S. N.	MERIT NO.	NAME / FNAME	ADDRESS	DOB	CAT	H C A T	M/ F	SEL CAT	SCHOOL NAME	block	Candidate Photo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	263	MAINA GURJAR / BHAGWA NA RAM	VILLAGE - HARSH POST - HARSH VIA - SANWALI District SIKAR PINCODE&" 332021	03-Apr-97	MBC		F	MBC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHANDAWAL NAGAR SOJAT PALI (214156)	SOJAT	
2	75	JITENDRA SINGH RAJPURO HIT / KISHORE SINGH	RAJPUROHITO KA BASS VILLAGE SANGARIYA JODHPUR RAJSTHAN - District JODHPUR PINCODE&" 342013	05-Jan-93	GEN-EWS		M	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDAWAS (221173)	ROHAT	

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय), माध्यमिक, पाली

